कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कृषि अनुसंधान भवन-I, पूसा, नई दिल्ली 110 012
AGRICULTURAL SCIENTISTS RECRUITMENT BOARD
(INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH)
Krishi Anusandhan Bhavan-I, Pusa, New Delhi-110012

फा.सं. 2(2)/2016-परीक्षा II   दिनांक 18 अगस्त, 2017

अधिसूचना

आशुलिपिक ग्रेड III तथा अवर श्रेणी लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा-2017

1 कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन पद्धति से कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है :-

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली तथा इसके अनुसंधान संस्थानों एवं संस्थानों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में **आशुलिपिक ग्रेड-III {**पे बैंड-1, रू 5200-20200+ग्रेड पे रू 2,400 (सातवें वेतन आयोग द्वारा संशोधित लेवल-4)} के **95 पद**।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के अन्तर्गत **अवर श्रेणी लिपिक {**पे बैंड-1, रू 5200-20200+ग्रेड पे रू 1900 (सातवें वेतन आयोग द्वारा संशोधित लेवल-2)} के **78 पद**।

(iii) **महत्वपूर्ण तिथियां**

क्रम सं.	**गतिविधि**	**दिनांक एवं समय**
1.	आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ:	31.08.2017 (सुबह 10:00 बजे से)
2.	आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त:	25.09.2017 (शाम 5:00 बजे तक)
3.	आवेदन पत्रों का संपादन	26-28.09.2017(शाम 5:00 बजे तक)
4.	प्रवेश पत्र डाउनलोड करना	14.10.2017 (सुबह 10:00 बजे से)
5.	अवर श्रेणी लिपिक के लिए परीक्षा	29.10.2017 (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
6.	आशुलिपिक ग्रेड III के लिए परीक्षा	29.10.2017, (दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक)

इस अधिसूचना में दिए गए परीक्षा के नियमों व पद्धति के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन पद्धति से देश के 21 परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। इस अधिसूचना में दिए गए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आशुलिपि/टंकण में कौशल प्राप्त, इच्छुक एवं पात्रता वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार दोनों पदों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क सहित अलग-अलग आवेदन कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरने से पूर्व अधिसूचना को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। लिखित परीक्षा के लिए उन उम्मीदवारों को प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे जिन्होंने अपने आवेदन में यह घोषित किया है कि उन्हें आशुलिपि/टंकण में कौशल प्राप्त नहीं है।

परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सभी इच्छुक उम्मीदवारों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा और हिन्दी/अंग्रेजी में आवश्यक कौशल परीक्षा देनी होगी। केवल निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ही आशुलिपि/टंकण में कौशल परीक्षण के लिए 1:20 अनुपात में (यानि मेरिट के क्रमानुसार एक पद के लिए 20 उम्मीदवार) बुलाए जाएंगे।

केवल आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए :
कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उनके मेरिट तथा उनके द्वारा चुने गए संस्थान/संस्थानों में इस अधिसूचना के **अनुलग्नक-III** में दी गई रिक्तियों के विवरण के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय, नई दिल्ली तथा देशभर में स्थित इसके विभिन्न संस्थानों एवं इसके संस्थानों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में आशुलिपिक ग्रेड-III पद पर नियुक्ति हेतु पदों की संख्या के अनुसार सिफारिश की जाएगी। भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय तथा प्रत्येक अनुसंधान संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए चयन सूची अलग-अलग तैयार की जाएगी चूंकि प्रत्येक एकक/संस्थान का कैडर अलग-अलग है, अत: उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय/प्रत्येक संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपना विकल्प देना होगा।

केवल अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए :
कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय, नई दिल्ली में (इस अधिसूचना के **अनुलग्नक-IV** में दिए गए रिक्तियों के विवरण के अनुसार) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उनके मेरिट के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी।

2. परीक्षा केन्द्र

परीक्षा केन्द्रों की सूची, जहां ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, क्रमशः **अनुलग्नक-I** तथा **अनुलग्नक -II** में दी गई है। उपरोक्त परीक्षा हेतु केन्द्रों तथा परीक्षा तिथियों में कृ.वै.च.मं. द्वारा अपने विवेकानुसार बदलाव किया जा सकता है। उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र का चयन सावधानीपूर्वक करें। परीक्षा केन्द्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. रिक्त पद

आशुलिपिक ग्रेड-III तथा अवर श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों का विवरण क्रमश: **<u>अनुलग्नक-III</u>** और **<u>अनुलग्नक-IV</u>** में दिया गया है। रिक्त पदों की संख्या अनुमानित है और इनमें बदलाव हो सकता है।

4. परीक्षा के नियम

आशुलिपिक ग्रेड-III तथा अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा के नियम क्रमश: **<u>अनुलग्नक-V</u>** और **<u>अनुलग्नक-VI</u>** में दिए गए हैं। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व परीक्षा नियमों को सावधानीपूर्वक अवश्य पढ़ लेना चाहिए।

5. निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं :-

(i) आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए

शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए।

व्यावसायिक योग्यता : उम्मीदवार को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक अंग्रेजी या हिन्दी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया जाएगा। उम्मीदवार जो अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें इस सामग्री को 50 मिनट में कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन (ट्रांसक्राइब) करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी विकल्प को चुनते हैं उन्हें 65 मिनट में कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन (ट्रांसक्राइब) करना होगा।

(ii) अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए

शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए।

व्यावसायिक योग्यता : कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट 10500 केडीपीएच के अनुरूप है जो औसतन 5 की-डिप्रेशंस प्रतिशब्द है)।

6. आयु सीमा

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय उम्मीदवार की आयु **18 वर्ष** से अधिक परंतु **27 वर्ष** से कम होनी चाहिए। विभिन्न वर्गों को देय आयु सीमा में छूट, परीक्षा नियमों के नियम 4 के अंतर्गत, आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों के लिए <u>**अनुलग्नक-**V</u> तथा अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए <u>**अनुलग्नक-**VI</u> में दिए गए विवरण के अनुसार दी जाएगी।

7. पंजीकरण शुल्क

देय पंजीकरण शुल्क का विवरण

क्रम सं.	**उम्मीदवार का वर्ग**	**शुल्क (रूपए)**
1.	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार	200/-
2.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक/ महिला उम्मीदवार	शून्य

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग भुगतान संबंधी लेन-देन खर्च उम्मीदवार को वहन करना होगा।

ऑनलाइन शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से वेबसाइट : http://www.asrb.org.in तथा भा.कृ.अनु.प. के वेबसाइट http://www.icar.org.in. पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से करना होगा।

भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन के अंतिम समय से पूर्व करना आवश्यक है।

नोट : कोई भी उम्मीदवार दोनों पदों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ दो अलग आवेदन जमा कर सकते हैं।

8. पाठ्यक्रम सहित परीक्षा की योजना :-

आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम सहित विस्तृत योजना का विवरण **<u>अनुलग्नक-V</u>** के *परिशिष्ट-I* में तथा अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए **<u>अनुलग्नक-VI</u>** के *परिशिष्ट-I* में दिया गया है।

9. आवेदन कैसे करें:-

परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को केवल वेबसाइट : http://www.asrb.org.in पर उपलबध ऑनलाइन प्रपत्र का ही उपयोग करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश **<u>परिशिष्ट-I</u>** में दिए गए हैं।

आवेदक को इस अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना एवं इनका अनुपालन करना आवश्यक है। उम्मीदवार को इस परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तें जैसे, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यताएं आदि पूर्ण करनी होंगी।

आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में किसी प्रकार के दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और जिन्हें मंडल द्वारा कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उम्मीदवार को कौशल परीक्षण में बैठने की अनुमति नहीं होगी। केवल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार पदों के लिए सभी तरह से पात्र है। उम्मीदवार की पात्रता की जांच केवल कौशल परीक्षण के लिए उत्तीर्ण होने के पश्चात की जाती है। इस लिए उम्मीदवार को आनलाइन आवेदन करते समय पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।

आवेदक को वैध वर्तनी/टंकण अशुद्धि को छोड़कर, किसी भी विवरण जैसे:- परीक्षा केन्द्र, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ई.मेल आईडी, मोबाइल नं., फोन नं., वर्ग, परीक्षा का माध्यम आदि को बदलने के अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फार्म भरते समय पूर्ण सावधानी रखें।

10.चयन की विधि:

लिखित परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	**वर्ग**	**न्यूनतम अर्हता अंक**
1.	अनारक्षित	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	40%
3.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक	35%

(i) निर्धारित मानदंडों के अनुसार लिखित परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एक पद के लिए 20 उम्मीदवारों यानि 1:20 अनुपात में कौशल परीक्षण हेतु लघु-सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा। अत: यह जरूरी नहीं है कि ऐसे सभी उम्मीदवार जो कि न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त कर लेते हैं उन सभी को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा।

(ii) मंडल अपने विवेक से सभी या किसी वर्ग के लिए चयन संबंधी अंक तथा निर्धारित अनुपात में बदलाव कर सकता है।

केवल आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए :

<u>अनुलग्नक-V</u> के ***परिशिष्ट-I*** के पैरा बी के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए एकक जैसे भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय/संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र के संदर्भ में लिखित परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) में प्राप्तांकों के मेरिट के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा और संबंधित एकक के लिए लिखित परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) में उनके मेरिट के आधार पर नियुक्ति हेतु कृ.वै.च.मं. द्वारा सिफारिश की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकता/विकल्प में से उच्चतम पोजिशन वाले एक एकक में ही नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

केवल अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए :

<u>अनुलग्नक-VI</u> के ***परिशिष्ट-I*** के पैरा बी के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) में प्राप्तांकों के मेरिट के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा और उन्हें भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय, नई दिल्ली के अवर श्रेणी लिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

मात्र परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की उपयुक्तता पर भा.कृ.अनु.प. पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो।

11.महत्वपूर्ण टिप्पणियां

i. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इस परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तें जैसे, शैक्षिक योग्यताएं, आयु, वर्ग आदि पूर्ण करता है। परीक्षा में उनका प्रवेश अस्थायी होगा। यदि किसी भी बाद के चरण में यह पाया जाता है कि वे पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं तो परीक्षा में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उनके द्वारा जमा आवेदन शुल्क की राशि जब्त कर ली जाएगी। कौशल परीक्षा के समय या कौशल परीक्षा के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता की जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार पात्रता शर्तों की पूर्ति नहीं करता/करती है तो मंडल द्वारा किसी भी समय फौरन उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि के आरक्षण/ उपलब्ध छूट के लाभ की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्धारित नियमों/नोटिस के अनुसार वे उक्त आरक्षण/छूट प्राप्त करने योग्य हैं। उम्मीदवारों के पास इस प्रकार के लाभ हेतु अपने दावे के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र नियमों/नोटिस के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध होना आवश्यक है और इस प्रकार के सभी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी हुए होने चाहिए।

iii. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में किसी प्रकार के दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और जिन्हें मंडल द्वारा कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उम्मीदवार को कौशल परीक्षण में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

iv. ऐसे मामलों में, जहां उम्मीदवारों द्वारा अपनी पात्रता के समर्थन में पिछले पैराग्राफों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होने पर, उन्हें अन्य तिथि पर उस प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा और परिणामत: परीक्षा के लिए उनकी पात्रता की जांच केवल उपलब्ध दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के आधार पर की जाएगी। तदनानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज अधिसूचना के **अनुलग्नक-VII,VIII,IX तथा X,** में निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप हैं। अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखे गए प्रमाण पत्र/दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगें। इस तरह के मामलों में उम्मीदवार को प्रमाण पत्र/दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी में या नॉटरी पब्लिक से सत्यापित इनकी अनुवादित प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

v. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/वैज्ञानिक संस्थानों/ **विश्वविद्यालयों में कार्यरत आकस्मिक या दैनिक कार्मिकों को छोड़कर सेवा के अन्य** सभी स्थायी या अस्थायी या वर्क चार्ज कर्मचारियों को यह वचन-पत्र देना होगा कि उन्होनें अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित में यह सूचित कर दिया है कि उन्होनें इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हैं। तथापि, भा.कृ.अनु.प. के कर्मचारी होने के नाते आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को **अनुलग्नक-XI** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्थान द्वारा जारी इस उद्देश्य का एक प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेजों/प्रमाण पत्र जमा करने के समय प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने के दौरान अपने नियोक्ता से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र तुरन्त प्राप्त कर भावी आवश्यकताओं के लिए रख लेना चाहिए।

vi. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, जिनकी जाति केन्द्रीय सूची (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध) में सम्मिलित नहीं है तथा जो ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर के लागू प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है, उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य वर्ग का उम्मीदवार माना जाएगा। तदनानुसार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जो ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं, वे अपने वर्ग को 'अनारक्षित' इंगित करेंगे।

vii. यदि उम्मीदवार द्वारा आयु, शैक्षणिक योग्यताएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/भा.कृ.अनु.प. के कर्मचारी होने के संदर्भ में किए गए दावे गलत पाये जाते हैं तो वे मंडल/आई.सी.ए.आर. द्वारा अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

viii. राम सिंह एवं अन्य बनाम भारतीय संघ के WP(C) No. 274/2014 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.03.2015 के अनुसार बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उतराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के अन्य पिछड़े वर्ग के जाट उम्मीदवारों को अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तदानुसार इस प्रकार के उम्मीदवारों को अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आवेदन नहीं करना चाहिए।

ix. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन भरने के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। वर्तनी/टंकण अशुद्धियों को छोड़कर आवेदन के किसी भी अन्य विवरण जैसे परीक्षा केन्द्र, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ई-मेल आई.डी., मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, वर्ग, परीक्षा के माध्यम आदि को बदलने के किसी भी अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अत: उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।

x. प्रवेश पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात सावधानीपूर्वक इसकी जॉच करें, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, कृ.वै.च.मं., कैब-1 पूसा, नई दिल्ली-110012

को सूचित करें या steno_ldc@asrb.org.in पर मेल करें।

xi. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्रवेश पत्र में कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से नाम संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

xii. यदि किसी उम्मीदवार को मंडल द्वारा एक से अधिक प्रवेश पत्र जारी किया जाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने हेतु केवल एक ही प्रवेश पत्र का उपयोग करना चाहिए और इसकी सूचना तत्काल परीक्षा नियंत्रक, कृ.वै.च.मं., कैब-1, पूसा, नई दिल्ली-110 012 को देनी चाहिए या steno_ldc@asrb.org.in पर मेल भेजना चाहिए।

xiii. उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उम्मीदवारी/आवेदन/आवेदन शुल्क वापस करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

xiv. प्रवेश पत्र केवल कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की वेबसाइट https://www.asrb.org.in तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट http://www.icar.org.in से डाउनलोड करना होगा। परीक्षा से संबंधित किसी भी सूचनाओं के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट www.asrb.org.in देखनी चाहिए। प्रवेश पत्र जारी करने के लिए सूचना के किसी अन्य माध्यम का उपयोग नहीं किया जाएगा।

xv. परीक्षा के परिणामों के पश्चात कौशल परीक्षा हेतु अलग से कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र (कॉल लैटर) (ई-मेल के माध्यम से) भेजे जाएगें और उनमें सभी अनुदेश/सूचनाएं उल्लेखित होंगे। इस प्रयोजन के लिए कोई हार्ड कॉपी/पत्र नहीं भेजा जाएगा।

xvi. उम्मीदवार के नाम या पिता के नाम में कोई त्रुटि (वर्तनी या कुलनाम इत्यादि) हो तो उन्हें त्रुटि का उल्लेख तथा सही नाम को प्रमाणित करने के लिए अन्य समर्थन कागजातों के साथ एक वास्तविक शपथ-पत्र भी जमा करना होगा।

xvii. उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे नियमित रूप से कृ.वै.च.मं. की वेबसाइट https://www.asrb.org.in देखें। परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं केवल इसी वेबसाइट पर ही अपलोड/अपडेट की जाएंगी।

xviii. इस परीक्षा के संदर्भ में किए गए आवेदन के संदर्भ में सभी संप्रेषण परीक्षा नियंत्रक, कृ.वै.च.मं., कैब-1, पूसा, नई दिल्ली-110012 को संबोधित करके भेजें या steno_ldc@asrb.org.in पर मेल करें। सूचना भेजते समय निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख अवश्य करें :-

1.) परीक्षा का शीर्षक एवं वर्ष/आशुलिपिक ग्रेड III तथा अवर श्रेणी लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा-2017
2.) उम्मीदवार का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
3.) पंजीकरण संख्या

4.) परीक्षा केन्द्र
5.) क्रमांक (यदि सूचित किया गया हो तो)
6.) ई-मेल पता (जो आवेदन पत्र में दिया गया हो)
7.) दूरभाष/मोबाइल नम्बर

नोटः- उपरोक्त विवरणों के बिना भेजे गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

xix कृपया नोट करें कि परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/पेजर या कोई अन्य सूचना/संवाद उपकरण लाना निषेध है। इस अनुदेश के उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित किया जाता है। उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में यह सुझाव दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्र में इस प्रकार की वस्तुएं साथ में ना लाये क्योंकि उनको सुरक्षित रखने का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्र में कोई भी कीमती वस्तुएं ना लाये। इन अनुदेशों के अनुपालन न करने के कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मंडल उत्तरदायी नहीं होगा।

xx परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन प्रारूप में निर्धारित केन्द्रों पर किया जाएगा। परीक्षा के प्रश्न द्विभाषी रूप मे हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होंगे। परीक्षा के दौरान उत्तरों को कम्प्यूटर पर ही अंकित किया जाना है।

xxi कौशल परीक्षण (आशुलिपि/टंकण) अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम में ही आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने कौशल परीक्षण का माध्यम ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में चुनना होगा। उम्मीदवारों को अपने चुने हुए माध्यम के अलावा अन्य माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।

xxii यदि विज्ञापन/अधिसूचना/सूचना, प्रश्न/उत्तर इत्यादि के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों में कोई भिन्नता हो तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

xxiii ऑनलाइन आवेदन सहित यह अधिसूचना कृ.वै.च.मं. की वेबसाइट https://www.asrb.org.in तथा भा.कृ.अनु.प. की वेबसाइट http://www.icar.org.in पर उपलब्ध है।

xxiv उम्मीदवारों को परीक्षा के सभी चरणों में उपस्थित होने हेतु कृ.वै.च.मं. द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र के अलावा आधार कार्ड अथवा कोई सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड की मूल प्रति तथा पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ भी लाना होगा। कृपया नोट करें यदि उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र के रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

xxv परीक्षा में प्रवेश के संदर्भ में उम्मीदवार की पात्रता या अन्य किसी भी मामले में मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

xxvi उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

xxvii यदि किसी उम्मीदवार को मंडल वेश बदलने का दोषी पाता है या हेर-फेर किए गए दस्तावेज, जाली दस्तावेज या गलत या असत्य विवरण देने या सूचनाओं को छिपाने या किसी अन्य अनियमित एवं अनुचित साधनों का उपयोग करने या परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों के उपयोग करने के प्रयास या दुर्व्यवहार या कदाचार में संलिप्त पाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के विरूद्ध अपराधिक अभियोग शुरू करने के अलावा उन्हें:-

(क) स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए निम्न हेतु मनाही कर सकता है :-

- कृ.वै.च.मं. द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति
- भा.कृ.अनु.परिषद द्वारा अपने अधीन रोजगार पर

(ख) यदि उम्मीदवार पहले से ही सरकारी/ भा.कृ.अनु.परि./राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत है तो उन पर निर्धारित नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

12. टाई मामलों का समाधान:-

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त होते हैं तो टाई का समाधान निम्नलिखित पद्धतियों को एक के बाद एक अपनाकर किया जाएगा:-

i) जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

ii) वर्णानुक्रम में जिस उम्मीदवार का प्रथम नाम पहले आता है।

13. मंडल का निर्णय अंतिम :-

उम्मीदवार की पात्रता, आवेदनों की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता, गलत सूचनाओं पर दंड, चयन पद्धति, परीक्षा एवं कौशल परीक्षण का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, चयन तथा चयनित उम्मीदवारों को पद/संगठन का आवंटन के संदर्भ में मंडल का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों पर बाध्य होगा तथा इस संदर्भ में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. यदि इस अधिसूचना के हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में दिए गए किसी भी तथ्य, अनुच्छेद, जानकारी, तिथि, संख्याएँ, परिशिष्ट, अनुसंग्लक इत्यादि में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो अंग्रेजी अधिसूचना में दिए गए तथ्यों इत्यादि को अंतिम माना जाएगा।

(एस. पी. सनवाल)
परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट-I

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

i. उम्मीदवारों को केवल कृ.वै.च.मं. की वेबसाइट http://www.asrb.org.in तथा भा.कृ.अनु.प. की वेबसाइट http://www.icar.org.in पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र लिंक के उपयोग से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के किसी अन्य प्रारूप की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध कराए गए विवरणों को भविष्य के सभी संदर्भों में उपयोग किया जाएगा तथा इसके बाद विवरणों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अत: उन्हें सुझाव दिया जाता है कि आवेदन प्रपत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्हे यह सलाह भी दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इस अधिसूचना को अच्छी तरह पढ़ लें।

ii. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन भरने के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। वैध वर्तनी/टंकण अशुद्धियों को छोड़कर आवेदन के अन्य किसी भी विवरण जैसे :- परीक्षा केन्द्र, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ई-मेल आई.डी., मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, वर्ग, परीक्षा का माध्यम इत्यादि में कोई परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. यदि किसी उम्मीदवार से एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पूर्व में प्राप्त आवेदनों को अनदेखा करते हुए प्राप्त अंतिम आवेदन पर विचार किया जाएगा; अन्य आवेदनों के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क का समायोजन/वापसी नहीं किया जाएगा।

iv. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के सभी भागों को भरते हुए इसे पूर्ण करना आवश्यक है, जिसके लिए आवेदन प्रपत्र भरते समय उन्हें मार्गदर्शन दिए जाएंगे।

v. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय संबंधित निम्नलिखित विवरण/सूचना/दस्तावेज अपने साथ तैयार रखना चाहिए :

क) आशुलिपिक ग्रेड-III तथा अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा-2017 की अधिसूचना।

ख) नाम (जिस प्रकार माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज किया हुआ है)

ग) पिता का नाम (जिस प्रकार माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज किया हुआ है)

घ) पत्राचार हेतु पूरा पता

ङ) पूर्ण स्थायी पता

च) मेट्रीक्यूलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र

छ) 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र/ प्रोविजनल प्रमाणपत्र/ अंकसूची

ज) आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो) अथवा अन्य कोई सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड इत्यादि।

झ) हाल ही में लिया गया सफेद बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ की कॉपी जो अधिकतम **150** केबी में जेपीजी फार्मेट में स्कैन किया गया हो और जिसमें फाटोग्राफ के दो तिहाई भाग में चेहरा दिखाई दे रहा हो और बिना किसी चश्में की ली गई हो।

ञ) सफेद कागज पर नीले/काली स्याही से किए गए हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी जो जेपीजी फार्मेट में स्केन किया गया हो।

ट) ऑनलाइन शुल्क भुगतान हेतु डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग का विवरण।

ठ) वैध एवं सक्रिय ई-मेल पता।

vi. उम्मीदवारों द्‌वारा आवेदन फार्म में अपना वैध एवं सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नं. देना आवश्यक है चूंकि सभी पत्राचार/सूचना/नवीन जानकारियां केवल इस ई-मेल पते पर ही भेजी जाएगी और इसके लिए दिए गए मोबाइल नं. पर एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाएंगें। यदि उनके पास अपना ई-मेल पता नहीं है तो वे अपने पसन्दीदा ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि आवेदन फार्म में निर्धारित स्थान पर ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि अनिवार्य है।

vii. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी कारण से एक अन्य आवेदन प्रपत्र भरना चाहता है तो, उन्हें एक अन्य ई-मेल पते का उपयोग करना होगा, चूंकि ई-मेल पता एक बार हमारे डाटाबेस में पंजीकृत हो जाने के बाद, एक अन्य आवेदन प्रपत्र में नाम, जन्म तिथि आदि एक होने पर भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

viii. आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी सभी सूचनाओं को तैयार रखें। आवेदन शुल्क भुगतान हेतु अपना डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग को तैयार रखें (यदि आप इनके उपयोग से भुगतान कर रहें है तो)।

ix. आवेदन फार्म प्रस्तुत करने के दौरान अपलोड करने हेतु हाल ही में लिया गया, {स्पष्टता के लिए हल्के बैकग्राउंड (वांछनीय रूप से सफेद बैकग्राउंड)} का पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ की स्केन की गई कॉपी जो अधिकतम 150 केबी में जेपीजी फार्मेट में स्केन किया गया हो और आसान पहचान के लिए फोटोग्राफ के दो तिहाई भाग में चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो और बिना किसी चश्में की ली गई हो तथा सफेद कागज पर नीले/काली स्याही से किए गए हस्ताक्षर की स्केन की गई कॉपी जो अधिकतम 80 केबी में जेपीजी फार्मेट में स्केन किया गया हो, तैयार रखें। उम्मीदवारों को स्पष्ट सुझाव दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर विधिवत् एवं सही तरीके से आवेदन प्रपत्र में अपलोड हो गए हैं। केवल स्पष्ट (धुंधला या अस्पष्ट प्रतियां नहीं) दिखने वाली स्कैन छाया प्रतियों का ही उपयोग करें चूंकि छाया प्रतियां स्पष्ट न होने पर आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपका फोटोग्राफ और हस्ताक्षर प्रवेश प्रमाण पत्र पर छापने हेतु उपयोग किया जाएगा और परीक्षा केन्द्र में प्रवेश फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की जांच के बाद ही दिया जाएगा।

स्कैन किया गया फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी फार्मेट में ही अपलोड करना आवश्यक है। इन्हें आवेदन के दौरान निर्देशित किए जाने वाले लिंक के उपयोग से ही अपलोड करना आवश्यक है। जिस स्थान पर स्केन किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर रखा गया है उस स्थान को ब्राउज कर चयन करें तत्पश्चात अपलोड बटन पर क्लिक करें। अपलोड होने के बाद फोटोग्राफ/हस्ताक्षर जो भी मामला हो सफलतापूर्वक अपलोड होने संबंधी एक सन्देश दिखेगा। यदि आप कोई अन्य फोटोग्राफ/हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहते हैं तो लिंक पर एडिट का विकल्प चुने एवं प्रक्रिया को पूर्व की तरह ही दोहरायें। जब तक आप सफलतापूर्वक अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर लेते हैं तब तक आपका आवेदन फार्म जमा के लिए स्वीकार नहीं होगा। अपने इसी फोटोग्राफ की मुद्रित प्रतियां परीक्षा/चयन प्रक्रिया के भावी चरणों में उपयोग के लिए रख लेनी चाहिए।

x. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र को कई चरणों में संपादित करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार आवेदन फार्म को पूरी तरह भरने तथा फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर को सफलतापूर्वक अपलोड करने के पश्चात फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर सहित पूरे आवेदन फार्म को देखा जा सकता है, इस स्थिति में भी आवेदन फार्म के किसी भी मद में संपादन/बदलाव किया जा सकता है।

xi. आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि वे परीक्षा के संदर्भ में अपडेट्स/सूचनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र में दिए गए अपने ई-मेल को नियमित रूप से जांच करते रहें। वे अपने मेल बॉक्स के स्पेम/जंक/इनबॉक्स/ट्रैश फोल्डरों की भी जांच करें।

xii. सफलतापूर्वक भुगतान करने पर आवेदन फार्म की सफलतापूर्वक प्रस्तुति का एक संदेश आएगा। यदि यह संदेश नहीं आता है तो इसका अर्थ होता है कि आपका आवेदन फार्म सफलतापूर्वक अपलोड/प्रस्तुत नहीं हुआ है, इस दशा में पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराना होगा।

xiii. उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया जाता है कि पूर्ण किए गए आवेदन फार्म का प्रिंट या साफ्ट कॉपी भविष्य के संदर्भों के लिए अपने पास अवश्य रखें।

xiv. केवल सफलतापूर्वक आवेदन फार्म को जमा करना और प्रवेश प्रमाण पत्र जारी होना परीक्षा में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता है। यदि किसी भी चरण में जांच में पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार सभी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है या उन्होंने कोई गलत/असत्य/भ्रामक/फर्जी सूचनाएं जानबूझ कर या अन्यथा भूल चूक से प्रस्तुत की है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी और भुगतान किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संदर्भ में जो भी अन्य उचित कार्रवाई होगी मंडल द्वारा उसे किया जाएगा।

xv. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/सहायता के लिए उम्मीदवार दूरभाष संख्या 011-25843907/25840251/25848172 पर प्रातः 09:30 बजे से 17:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार तक, राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) फोन कर सकते हैं या परीक्षा नियंत्रक, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, कृषि अनुसंधान भवन- I, पूसा, नई दिल्ली-110012 से संपर्क कर सकते हैं या steno_ldc@asrb.org.in. पर मेल कर सकते हैं।

अनुलग्नक– I

ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र
आशुलिपिक ग्रेड-III तथा अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा-2017

केन्द्र कोड	केन्द्र	राज्य
01	अहमदाबाद	गुजरात
02	बैंगलोर	कर्नाटक
03	भोपाल	मध्य प्रदेश
04	भुवनेश्वर	ओडिशा
05	चंडीगढ़	संघ शासित प्रदेश
06	चेन्नई	तमिलनाडु
07	कोच्चि	केरल
08	देहरादून	उत्तराखंड
09	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
10	गुवाहाटी	असम
11	हैदराबाद	तेलंगाना
12	जोधपुर	राजस्थान
13	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
14	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
15	मुम्बई	महाराष्ट्र
16	नागपुर	महाराष्ट्र
17	पटना	बिहार
18	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
19	शिमला	हिमाचल प्रदेश
20	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
21	वाराणसी	उत्तर प्रदेश

अनुलग्नक-II

कौशल परीक्षण हेतु परीक्षा केन्द्र
आशुलिपिक ग्रेड-III तथा अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा-2017

उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों में से कौशल परीक्षा के लिए अपना विकल्प सूचित करना होगा :

केन्द्र कोड	केन्द्र*	राज्य
01	बैंगलोर	कर्नाटक
02	बारापानी (शिलांग)	मेघालय
03	भुवनेश्वर	ओडिशा
04	कोच्चि	केरल
05	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
06	हैदराबाद	तेलंगाना
07	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
08	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
09	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
10	मुम्बई	महाराष्ट्र

* यदि मंडल के विचार में किसी विशेष केन्द्र पर कौशल परीक्षण आयोजित करने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होते हैं तो मंडल उम्मीदवारों द्वारा विकल्पित केन्द्र से किसी अन्य केन्द्र पर समायोजित कर सकता है।

अनुलग्नक-III

भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय एवं इसके संस्थानों में आशुलिपिक ग्रेड-III रिक्तियों का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम %	संस्थान में रिक्तियां							संस्थानों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में रिक्तियां %
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु; जन जाति	दिव्यांग (ओडी/वीडी)	भूतपूर्व सैनिक	कुल	
1.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	-	-	-	-	-	-	-	नागपुर - 01(अन्य पिछड़ा वर्ग)
2.	राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	03	-	-	-	-	-	03	-
3.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुन्द्री	01	01	-	-	-	-	02	कंदुकूर-01 (अनारक्षित) कलवाचर्ला-01 (अनारक्षित)
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	शिकोहपुर-01{(अनारक्षित) दिव्यांग (ओडी)}
5.	विवेकानन्द पर्वतीय अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	काफलीगैर, बागेश्वर-01 (अनारक्षित), चिन्यालिसौर, उत्तर काशी-01 (अनारक्षित)
6.	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	01	-	-	-	-	-	01	01 (अनारक्षित), गुटां, बंसुर, अलवर
7.	भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	-	01	-	-	-	-	01	-
8.	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान	01	-	-	-	-	-	01	-
9.	भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल	01	-	-	-	-	-	01	-
10.	भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ	01	-	-	-	-	-	01	-
11.	केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	-	-	-	-	-	-	-	सिप्पीघाट, पोर्ट ब्लेयर-01 ((अनारक्षित) कार निकोबार-01 (अनारक्षित)
12.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	01	-	-	-	-	-	01	-
13.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-	बारामुल्ला-01 (अनारक्षित)

14.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़	02	-	01	-	01 (ओडी)	-	03*	-
15.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	03	01	01	-	-	-	05	-
16.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	01	-	-	-	-	-	01	-
17.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	01	-	01	-	-	-	02	सरगाटिया (खुशीनगर) -01 (अनारक्षित) देवरिया-01 (अनारक्षित) बदोही-01 (अनारक्षित)
18.	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर	01	-	-	-	-	-	01	-
19.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	02	01	-	-	01 (वीडी)	-	03*	-
20.	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर	01	-	-	-	-	-	01	-
21.	कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	-	01	-	-	-	-	01	-
22.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	-	-	-	-	-	-	-	भुज-01 (अनारक्षित) पाली-01 {(अनारक्षित-दिव्यांग ओडी)} जोधपुर-01 (अनारक्षित)
23.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	04	-	-	-	-	-	04	-
24.	भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून	02	01	01	-	01 (ओडी)	-	04*	-
		#इन चारों पदों को संस्थान के प्रादेशिक केन्द्रों बेल्लारी (कर्नाटक), दतिया (मध्य प्रदेश), कोरापुट (ओडिशा) एवं उदगामंडलम (तमिलनाडु) में भरा जाना है।							
25.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अनु.प. अनुसंधान परिसर, उमियम	03	-	-	01	-	01	04*	बीसी मनु, दक्षिण त्रिपुरा 01 (अनारक्षित) तुरा, मेघालय-01 (अनुसूचित जनजाति) परेना, नागालैंड-01 (अनुसूचित जनजाति) रि-भोई, मेघालय-01 {अनारक्षित-दिव्यांग (ओडी)}

									अंजा, अरूणाचल प्रदेश-01 {(अनारक्षित-भूतपूर्व सैनिक)}
26.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	02	01	01	-	-	-	04	-
27.	केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	01	-	-	-	-	-	01	-
28.	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर	01	-	-	-	-	-	01	खुदरा 01 (अनारक्षित)
29.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई	01	-	-	-	-	-	01	-
30.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्ची	01	01	-	-	-	-	02	-
31.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्ची	-	-	01	-	-	-	01	-
	कुल (क्र.सं. 1-31)	35	08	06	01	03 (ओडी-2, वीडी-1)	01	50*	22 {अनारक्षित-19 (दिव्यांग-ओडी-03, भूतपूर्व सैनिक-01 सहित), ओबीसी'-01, अनुसूचित जनजाति-02}
32.	भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय, नई दिल्ली	13	06	03	01	01 (ओडी)	02	23*	-
	कुल (क्र.सं. 1-32)	**48**	**14**	**09**	**02**	**04 (ओडी-3, वीडी-1)**	**03**	**73***	22 {अनारक्षित-19 (दिव्यांग-ओडी-03, भूतपूर्व सैनिक-01 सहित), ओबीसी-01, अनुसूचित जनजाति-02 सहित}

*पार्श्व आरक्षण के माध्यम से कुल रिक्तियों की संख्या में दिव्यांगजन (ओडी/वीडी) तथा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों की रिक्तियां सम्मिलित हैं।

नोट : सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड-III पदों की पहचान एक भुजा (ओए), एक पैर (ओएल), एक भुजा और पैर (ओएएल), दोनों पैर (बीएल), दृष्टिहीन (बी) तथा कम दृष्टि वाले दिव्यांगजनों के लिए की गई है।

उपयोग किए गए संक्षिप्त रूप : ओबीसी = अन्य पिछड़ा वर्ग, ओडी = अस्थि दिव्यांगता, वीडी = दृष्टिबाधित दिव्यांगता

% संस्थानों का विवरण तथा इनके प्रादेशिक केन्द्र तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों का स्थान भा.कृ.अनु.प. की वेबसाइट www.icar.org.in पर देखा जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों का विवरण

क्रम सं.	वर्ग	रिक्तियों की संख्या
1.	अनारक्षित	36
2.	अनुसूचित जाति	16
3.	अनुसूचित जनजाति	11
4.	अन्य पिछड़े वर्ग	15
5.	दिव्यांगजन	01
6.	भूतपूर्व सौनिक	06
	कुल:	**85***

कुल रिक्त पदों में दिव्यांगजन (ओडी/वीडी/एचडी) के लिए आरक्षित 01 पद तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 06 पद सम्मिलित है। यह आरक्षण क्षैतिज है और उस वर्ग तक सीमित है जिसमें दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों सदस्य हैं।

नोट : सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार अवर श्रेणी लिपिक पदों की पहचान एक भुजा (ओए), एक पैर (ओएल), एक भुजा और पैर (ओएएल), दोनों पैर (बीएल), दृष्टिहीन (बी) तथा कम दृष्टि तथा श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए की गई है।

उपयोग किए गए संक्षिप्त रूप - पीडब्ल्यूडी = दिव्यांगजन, ओडी = अस्थि दिव्यांगता, वीडी = दृष्टिबाधित दिव्यांगता, एचडी = श्रवण बाधित दिव्यांगजन।

अनुलग्नक-V

आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए परीक्षा के नियम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके संस्थानों में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड-III, पे बैंड-1 रू 5200-20200 + रू 2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन आयोग द्वारा संशोधित लेवल 4) के पदों पर भर्ती के उद्देश्य से आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम निम्नलिखित हैं:

2. परीक्षा परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया जाएगा। आरक्षण पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भाकृअनुप द्वारा निर्धारित रिक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा।

3. इन नियमों के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित पद्धति से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

4. (क) इस परीक्षा के लिए आयु सीमा निम्नवत है -

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के समय उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक परन्तु 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु की ऊपरी सीमा में छूट दी जाएगी। भाकृअनुप में कार्यरत नियमित प्रशासनिक (अनुसचिवीय) कर्मचारियों को आयु की छूट 45 वर्षों तक दी जाएगी।

(ख) ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जाएगी -

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तो अधिकतम पांच वर्ष।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग (नान क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के संदर्भ में अधिकतम तीन वर्ष।

(iii) दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्षों तक की छूट होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जो दिव्यांगजन भी हैं उन्हें दोनों वर्गों के अंतर्गत आयु सीमा में संचयी छूट के पात्र होंगे।

(iv) वास्तविक रूप से विस्थापित व्यक्तियों/स्वदेश लौटे भारतीय मूल के प्रत्यावर्तित व्यक्तियों/रक्षा सेवा के कर्मियों/केन्द्रीय पुलिस बल/भूतपूर्व सैनिकों के कार्मिक आदि के लिए इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार।

उपरोक्त के अलावा किसी अन्य मामले में किसी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट नहीं होगी।

5. **आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं**

   शैक्षिक - मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष में उत्तीर्ण, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण कर लिया गया हो।

   व्यावसायिक - उम्मीदवार को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक अंग्रेजी या हिन्दी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया जाएगा। उम्मीदवार जो अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें इस सामग्री को 50 मिनट में कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन (ट्रांसक्राइब) करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी विकल्प को चुनते हैं उन्हें 65 मिनट में कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन (ट्रांसक्राइब) करना होगा।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/वैज्ञानिक संस्थानों/ **विश्वविद्यालयों में कार्यरत कैजुअल या दैनिक कार्मिकों को छोड़कर सेवा के अन्य** सभी स्थायी या अस्थायी या वर्क चार्ज कर्मचारियों को यह वचन-पत्र देना होगा कि उन्होनें अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित में यह सूचित कर दिया है कि उन्होनें परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हैं।
7. परीक्षा में प्रवेश हेतु किसी उम्मीदवार की पात्रता या अन्य किसी भी मामलें में कृ.वै.च.मं. का निर्णय अंतिम होगा।
8. मंडल द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
10. लिखित परीक्षा के पश्चात जिन उम्मीदवारों को परीक्षा की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त हुए हैं उन्हें कौशल परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
11. उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से परीक्षा परिणाम सूचित करने की विधि एवं पद्धति उस प्रकार होगी जिस प्रकार परीक्षा अधिसूचना में दी गई है और परीक्षा परिणाम के संदर्भ में मंडल किसी प्रकार का पत्राचार नहीं करेगा।
12. भा.कृ.अनु.प./संस्थानों द्वारा प्रारम्भ में दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी। परीवीक्षा काल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो।
13. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकृतियों से मुक्त होना चाहिए जो एक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों को दक्षता के साथ निर्वाहन करने में बाधा उत्पन्न करता हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा जांच में उम्मीदवार इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल उन उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।
14. परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है जब तक मंडल/परिषद आवश्यक जांच के पश्चात संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के आधार पर सभी द्रष्टिकोणों से पद पर नियुक्ति के योग्य है।

आशुलिपिक ग्रेड-III के लिए परीक्षा की योजना

परीक्षा की योजना : इस परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि में कौशल परीक्षण होगा।

(क) लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित रूप से एक वस्तुनिष्ट प्रकार का प्रश्न पत्र (आब्जेक्टिव टाइप) होगा :

भाग	विषय	अधिकतम अंक	कुल अवधि/समय	
			सभी उम्मीदवार (वीडी को छोड़कर	द्रष्टिबाधित दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए
I	सामान्य बुद्धिमता (50 प्रश्न) (जनरल इनटेलीजेंस)	50	2 घंटे	2 घंटे 40 मिनट
II	सामान्य जागरूकता (50 प्रश्न) (जनरल एवेरनेस)	50		
III	अंग्रेजी भाषा और समझ (100 प्रश्न) (इंग्लिश लैंग्वेज एण्ड काम्प्रीहेंसन)	100		

नोट - I प्रश्न पत्र में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के - बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। भाग- III को छोड़कर प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में दिए जाएंगें।

नोट - II प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखें।

पाठ्यक्रम

सामान्य बुद्धिमता (जनरल इनटेलीजेंस) : इसमें शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक (वरबल और नॉन-वरबल) दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षण में तुल्यता, समरूपता और विभिन्नता, स्पेस परिकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, न्याय निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभाव अवलोकन, संबंधों की अवधारणाएं, आक्षरिक एवं अंक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रंखला, नॉन वरबल सीरीज आदि पर प्रश्न होंगे। अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषात्मक कार्यों को करने में उम्मीदवार की क्षमता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्न भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

अंग्रेजी भाषा और समझ: उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ के परीक्षण के अतिरिक्त इसके शब्द भंडार, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विपरार्थक तथा इनके सही उपयोग आदि, उम्मीदवार की लेखन क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा।

सामान्य जागरूकता : अपने चारों ओर के पर्यावरण तथा समाज में इसके अनुप्रयोग से संबंधित उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता के परीक्षण हेतु प्रश्न तैयार किए जाएंगे। वर्तमान घटनाओं तथा दैनिक अवलोकन एवं अनुभव के विषयों की वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित ज्ञान परीक्षण के भी प्रश्न होंगे जो एक शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। प्रश्न पत्र में भारत और पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजतंत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित।

नोट: 40 प्रतिशत से अधिक दृष्टिबाधित/दिव्यांगता वाले उम्मीदवार यदि स्क्राइब का विकल्प चुनते हैं तो सामान्य बुद्धिमता एवं तर्क/सामान्य जागरूकता प्रश्न पत्रों में मैप/ग्राफ/चित्र/सांख्यिकीय आंकड़े नहीं होंगे।

(क) आशुलिपि में कौशल परीक्षण

लिखित परीक्षा में, परीक्षा अधिसूचना में निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही 1:20 के अनुपात में कौशल परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षण को पास करना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का एक श्रुतलेख (डिक्टेशन) अंग्रेजी/हिन्दी में दिया जाएगा। इसे केवल कम्प्यूटर पर ही प्रतिलेखन (ट्रांसक्राइब) करना होगा। प्रतिलेखन अवधि इस प्रकार है-

आशुलिपिक ग्रेड-III	50 मिनट (अंग्रेजी)
	65 मिनट (हिन्दी)

नोट :

1. उम्मीदवार को अपने आशुलिपि परीक्षण हेतु अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम में से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किसी एक को इंगित करना होगा। बाद के चरणों में माध्यम बदलने की अनुमति नहीं होगी।
2. किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कौशल परीक्षण में कोई छूट नहीं होगी।
3. नियुक्ति के बाद, आशुलिपि परीक्षा हेतु हिन्दी विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी।
4. दृष्टिबाधित दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को आशुलिपिक ग्रेड-III पदों के लिए अंग्रेजी आशुलिपि को 75 मिनट में या हिन्दी आशुलिपि को 100 मिनट में प्रतिलेखन करना होगा।
5. कौशल परीक्षण के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण से संबंधित विस्तृत अनुदेश भेजे जाएंगे।

6. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के निष्पादन के आधार पर उन्हें कौशल परीक्षण के लिए लघु सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा। कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु सिफारिशें लिखित परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर की जाएंगी।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवार जो शिथिल मानकों के बिना, स्वयं की योग्यता पर चयनित हुए हैं, उन्हें आरक्षित पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा। उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को अंतिम मैरिट लिस्ट में उनके स्थान के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिक से भरा जाएगा जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन उम्मीदवार तथा भूतपूर्व सैनिक होंगे जो अनारक्षित वर्ग में अंतिम सामान्य उम्मीदवार से मैरिटसूची में कम हैं, परंतु शिथिल मानकों के अनुसार नियुक्ति के लिए अन्यत: उपयुक्त हैं।
8. भूतपूर्व सैनिक वर्ग या दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार जो शिथिल मानकों जैसे आयु सीमा, अवसरों आदि के आधार पर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, सामान्य वर्ग की रिक्तियों के लिए नहीं, बशर्ते वे उम्मीदवार चयन के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। इस प्रकार के उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना शिथिल मानकों के आधार पर उनके लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किया जाएगा, ताकि आरक्षित वर्ग में कमी को दूर किया जा सके। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामले हैं उनमें भूतपूर्व सैनिक की आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति आरक्षित या अनारक्षित पदों के संदर्भ में है, और इस प्रकार की छूट को आयु के संदर्भ में शिथिल मानक नहीं माना जा सकता है |

नोट - I परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है जब तक कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आवश्यक जांच, जैसा आवश्यक समझे, के पश्चात संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सभी दृष्टिकोणों से पद पर नियुक्ति के योग्य है।

नोट- II परीक्षा के लिए आवदेन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह इस परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हैं। परीक्षा की सभी अवस्थाओं में उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा और निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन होगा। यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण से पहले या बाद में जांच में यह पाया जाता है कि वे पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा परीक्षा में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. उम्मीदवार की पात्रता, आवेदनों की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता, गलत सूचनाओं पर दंड, चयन पद्यति, परीक्षा एवं कौशल परीक्षण का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, चयन तथा चयनित उम्मीदवारों को पद/संगठन का आवंटन के संदर्भ में मंडल/परिषद का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों पर बाध्य होगा तथा इस संदर्भ में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद दिल्ली/नई दिल्ली के न्यायालय/ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र होगा।

अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए परीक्षा के नियम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत अवर श्रेणी लिपिक, पे बैंड-1 रू 5200-20200 + रू 1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन आयोग द्वारा संशोधित लेवल 2) के पदों पर भर्ती के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम निम्नलिखित हैं:-

2. परीक्षा परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया जाएगा। आरक्षण पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भा.कृ.अनु.प. द्वारा निर्धारित रिक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा।

3. परीक्षा का आयोजन इन नियमों के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित पद्धति से किया जाएगा।

4. (क) इस परीक्षा के लिए आयु सीमा निम्नवत है: -

   उम्मीदवार की आयु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 18 वर्ष से अधिक परन्तु 27 वर्ष से कम होना चाहिए। भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु की ऊपरी सीमा में छूट दी जाएगी। भा.कृ.अनु.प. में कार्यरत नियमित प्रशासनिक (अनुसचिवीय) कर्मचारियों के संदर्भ में आयु की छूट 45 वर्षों तक दी जाएगी।

   (ख) ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जाएगी -

   (i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के है तो अधिकतम पांच वर्ष।

   (ii) अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के संदर्भ में अधिकतम तीन वर्ष।

   (iii) दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्षों तक की छूट होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार जो दिव्यांगजन भी हैं उन्हें दोनों वर्गों के अंतर्गत आयु सीमा में संचयी छूट के पात्र होंगे।

   (iv) वास्तविक रूप से विस्थापित व्यक्तियों/स्वदेश लौटे भारतीय मूल के प्रत्यावर्तित व्यक्तियों/रक्षा सेवा के कर्मियों/केन्द्रीय पुलिस बल/ भूतपूर्व सैनिकों के कार्मिक आदि के लिए इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार।

ऊपर निर्धारित आयु सीमा को छोड़कर कोई अन्य मामले में छूट नहीं होगी।

5. <u>अवर श्रेणी लिपिक पदों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं</u>

शैक्षणिक - मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष में उत्तीर्ण, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण कर लिया गया हो।

व्यावसायिक - कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट 10500 केडीपीएच के अनुरूप है जो औसतन 5 की-डिप्रेशंस प्रतिशब्द है)।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/वैज्ञानिक संस्थानों/ **विश्वविद्यालयों में कार्यरत आकस्मिक या दैनिक कार्मिकों को छोड़कर सेवा के अन्य** सभी स्थायी या अस्थायी या वर्क चार्ज कर्मचारियों को यह वचन-पत्र देना होगा कि उन्होनें अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित में यह सूचित कर दिया है कि उन्होनें इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हैं।
7. परीक्षा में प्रवेश हेतु किसी भी उम्मीदवार की पात्रता या अन्य किसी भी मामले पर कृ.वै.च.मं. का निर्णय अंतिम होगा।
8. मंडल द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
9. उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
10. लिखित परीक्षा के पश्चात जिन उम्मीदवारों को परीक्षा की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त हुए हैं उन्हें कौशल परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
11. उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से परीक्षा परिणाम सूचित करने की विधि एवं पद्धति उस प्रकार होगी जिस प्रकार परीक्षा अधिसूचना में दी गई है और परीक्षा परिणाम के संदर्भ में मंडल किसी प्रकार का पत्राचार नहीं करेगा।
12. भा.कृ.अनु.प./संस्थानों द्वारा प्रारम्भ में दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी। परिवीक्षा काल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो।
13. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकृतियों से मुक्त होना चाहिए जो एक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों को दक्षता के साथ निर्वाहन करने में बाधा उत्पन्न करता हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा जांच में उम्मीदवार इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल उन उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।
14. परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है जब तक मंडल/परिषद आवश्यक जांच के पश्चात संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के आधार पर सभी द्रष्टिकोणों से पद पर नियुक्ति के योग्य है।

अवर श्रेणी लिपिक के लिए परीक्षा की योजना

परीक्षा की योजना : परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा तथा टंकण में कौशल परीक्षण होगा।

(क)लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित रूप से एक वस्तुनिष्ट प्रकार का प्रश्न पत्र (आब्जेक्टिव टाइप) होगा :

भाग	विषय	अधिकतम अंक	कुल अवधि/समय	
			सभी उम्मीदवार (वीडी को छोड़कर)	द्रष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए
I	सामान्य बुद्धिमता (50 प्रश्न) (जनरल इनटेलिजेंस)	50	2 घंटे	2 घंटे 40 मिनट
II	अंग्रेजी भाषा (मौलिक ज्ञान) (50 प्रश्न)	50		
III	संख्यात्मक अभिवृत्ति (मूलभूत अंकगणितीय कौशल) (50 प्रश्न)	50		
IV	सामान्य जागरूकता (50 प्रश्न)	50		

नोट - I प्रश्न पत्र में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के - बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। भाग- II को छोड़कर सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिन्दी में होंगे।

नोट - II प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखें।

पाठ्यक्रम

सामान्य बुद्धिमता (जनरल इनटेलीजेंस) : इसमें शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक (वरबल और नॉन-वरबल) दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षण में तुल्यता, समरूपता और विभिन्नता, स्पेस परिकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, न्याय निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभाव अवलोकन, संबंधों की अवधारणाएं, आक्षरिक एवं अंक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रंखला, नॉन वरबल सीरीज आदि पर प्रश्न होंगे। अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषात्मक कार्यों को करने में उम्मीदवार की क्षमता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्न भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

अंग्रेजी भाषा : उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ के परीक्षण के अतिरिक्त अंग्रेजी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विपरार्थक तथा इनके सही उपयोग आदि, उम्मीदवार की लेखन क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा।

संख्यात्मक योग्यता : प्रश्न पत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्ण संख्या की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याएं तथा संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय आपरेशन्स, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, डिस्काउंट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम आदि विषय पर प्रश्न सम्मिलित होंगे।

सामान्य जागरूकता : अपने चारों ओर के पर्यावरण तथा समाज में इसके अनुप्रयोग से संबंधित उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता के परीक्षण हेतु प्रश्न तैयार किए जाएंगे। वर्तमान घटनाओं तथा दैनिक अवलोकन एवं अनुभव के विषयों की वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित ज्ञान परीक्षण के भी प्रश्न होंगे जो एक शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। प्रश्न पत्र में भारत और पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजतंत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित।

नोट : 40 प्रतिशत से अधिक द्रष्टिबाधित दिव्यांगता वाले उम्मीदवार यदि स्क्राइब का विकल्प चुनते हैं तो सामान्य बुद्धिमता एवं तर्क/सामान्य जागरूकता प्रश्न पत्रों में मैप/ग्राफ/चित्र/सांख्यकीय आंकड़े नहीं होंगे।

(ख) टंकण में कौशल परीक्षण

लिखित परीक्षा में, परीक्षा अधिसूचना में निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही 1:20 के अधिसूचित अनुपात में टंकण परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। टंकण परीक्षण का स्वरूप अर्हता विशेष का होगा जिसे कम्प्यूटर पर देना होगा।

अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की गति से (समय अवधि 10 मिनट) (द्रष्टिबाधित दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट)

हिन्दी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की गति से (समय अवधि 10 मिनट) (द्रष्टिबाधित दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट)

(35 शब्द प्रति मिनट या 30 शब्द प्रति मिनट, 10500 की-डिप्रेशंस प्रति घंटा/9000 की-डिप्रेशंस प्रति घंटा के अनुरूप है जो औसतन 5 की-डिप्रेशंस प्रतिशब्द है)।

नोट :

1. टंकण परीक्षण केवल उम्मीदवार द्वारा विकल्पित अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम में आयोजन किया जाएगा।
2. उम्मीदवार को अपने टंकण परीक्षण के लिए माध्यम (अंग्रेजी या हिन्दी में) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में इंगित करना होगा। बाद के चरणों में माध्यम बदलने की अनुमति नहीं होगी।
3. किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए टंकण परीक्षण में कोई छूट नहीं होगी।

अनुलग्नक-VII

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र का फार्म

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपने दावे के पक्ष में गृह मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/21/49–एन.जी.एस. दिनांक 28.1.1952 द्वारा निर्धारित तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं. 36012/6/76–स्था (एससीटी), दिनांक 29.10.1977 में संशोधित प्रमाण पत्र फार्म जमा करना होगा।

<u>जाति प्रमाण पत्र का फार्म</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी* ———————————————— पुत्र/पुत्री* ———————————————
ग्राम/कस्बा*————————————
जिला/संभाग*———————————————— राज्य/संघीय क्षेत्र*—————————, ——————————— के हैं।

जाति/जनजाति* जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत ————————— के रूप में मान्यता है:— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति*

*संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
*संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951

{अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 के अनुसार यथासंशोधित}

*संवैधानिक (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956
*संवैधानिक (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित
*संवैधानिक (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962
*संवैधानिक (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962
*संवैधानिक (पाण्डुचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964
*संवैधानिक अनुसूचित जनजातियां (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
*संवैधानिक (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968
*संवैधानिक (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968
*संवैधानिक (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

*संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978
*संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978
*संवैधानिक (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989
*संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती* —————————————— पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————————————— ग्राम/कस्बा* ———————————————— जिला/संभाग* —————————————— राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश* —————————————————— जो उस जाति/जनजाति* के हैं जिसे ———————————————— राज्य/ संघीय क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता है, उनको —————————————— द्वारा दिनांक ——————————— को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर, जारी किया गया है।

श्री/श्रीमती*/कुमारी ———————————————— तथा/या उनका परिवार ग्राम/कस्बा ———————————— जिला/मंडल —————————————— राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश ———————————————— के आमतौर पर अधिवासी हैं।

हस्ताक्षर
पदनाम
मोहर सहित

राज्य
स्थान ——————————— ———————————
दिनांक ——————————— केन्द्र शासित प्रदेश

नोट : प्रयोग किए गए ''आमतौर पर अधिवासी'' शब्दों का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिए गए अर्थ के समान ही होगा।

---

* जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें।

भारत सरकार के अधीनस्थ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले प्रमाण पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————— पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ———————————————— ग्राम/कस्बा ———————————— जिला/संभाग ———————————— राज्य/संघीय क्षेत्र ————————————, ———————————————— समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ———————————————————————————— दिनांक ————* के अनुसार पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————— और/या उनका परिवार आमतौर पर ———————————— राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के ———— जिला/संभाग के अधिवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93/स्था.(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** के शेड्यूल के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट,
उपायुक्त आदि

दिनांक

मोहर

---

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना है जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया हो।

** समय समय पर यथासंशोधित।

नोट : प्रयोग किए गए ''आमतौर पर अधिवासी'' शब्दों का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिए गए अर्थ के समान ही होगा।

फार्म – 2
विकलांगता प्रमाण पत्र
अंगच्छेदन या अवयवों का सम्पूर्ण स्थायी पक्षाघात तथा दृष्टिहीनता के मामलों में
(नियम 4 देखें)
प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखे)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ——————————————, जन्म तिथि दिन/माह/वर्ष आयु ——— वर्ष, पुरूष/स्त्री पंजीकरण सं. ———————— स्थायी निवासी मकान न. ——— वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट —————————— डाकघर ————— जिला ———————— राज्य ———————— जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, उनका पूर्ण परीक्षण किया और संतुष्ट है कि

(क) उनका मामला –

- चलन विकलांगता (लोकोमोटार डिसएबिलिटी) का है
- दृष्टिहीनता का है

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में रोग की पहचान है –
(ग) उन्हें उनके —————(शरीर के अंग) के संदर्भ में दिशा निदेशों के अनुसार (उल्लेखित किया जाना है) ———————— प्रतिशत स्थायी शारीरिक क्षति/दृष्टिहीनता है।

2. आवेदक ने निवास स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है –

दस्तावेज की प्रकृति	**जारी करने की तिथि**	**प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण**

जिस व्यक्ति के पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>फार्म – 3</u>

विकलांगता प्रमाण पत्र
(बहुविकलांगताओं के मामलों में)
प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता
(नियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखे)

प्रमाण पत्र सं.   दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————————, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ————————————————————, जन्म तिथि दिन/माह/वर्ष आयु ——— वर्ष, पुरूष/स्त्री पंजीकरण सं. ——————————— स्थायी निवासी मकान न. ————— वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट ——————————————————— डाकघर ———————— जिला ———————————————— राज्य —————————— जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, उनका पूर्ण परीक्षण किया और संतुष्ट है कि

(क) उनका मामला बहुविकलांगता का है। नीचे चिन्हित की गई विकलांगताओं के मामलों में उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/विकलांगता का दिशा निर्देशों (उल्लेखित किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाया गया है।

क्र. सं.	**विकलांगता**	**शरीर के प्रभावित अंग**	**रोग की पहचान**	**स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (प्रतिशत में)**
1.	चलन विकलांगता (लोकोमोटार डिसएबिलिटी)	@		
2.	कम दृष्टि चलन विकलांगता (लो विजन)	#		
3.	दृष्टिहीनता	दोनों आंखें		
4.	श्रवण क्षति चलन विकलांगता (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	£		
5.	मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन)	X		
6.	मानसिक अस्वस्थता (मेंटल इलनेस)	X		

(ख) उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में उनकी स्थायी शारीरिक क्षति दिशा निर्देशों (उल्लेखित किया जाना है) निम्नवत् है –

अंकों में : ———— प्रतिशत

अक्षरों में : —————— प्रतिशत

2. यह स्थिति बढ़ने वाली है/नहीं बढ़ने वाली है/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता की पुनर्मूल्यांकन —

क) आवश्यकता नहीं है।

या

ख) ——————— वर्ष ———————— माह बाद के लिए सिफारिश की जाती है, अतः यह प्रमाण पत्र दि ——/——/—— तक वैध रहेगा।

@ — बायां/दायां/दोनों भुजाएं/टांगों

 # — एक आंख/दोनों आंखें

£ — दायां/बायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है —

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	**सदस्य का नाम और मोहर**	**अध्यक्ष का नाम और मोहर**

जिस व्यक्ति के पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

फार्म – 4
विकलांगता प्रमाण पत्र
(फार्म –2 और फार्म – 3 के अलावा अन्य मामलों के संदर्भ में)

प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता
(नियम 4 देखें)

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखे)

प्रमाण पत्र सं. दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————————, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ——————————————————, जन्म तिथि दिन/माह/वर्ष आयु ——— वर्ष, पुरूष/स्त्री पंजीकरण सं. ———————————— स्थायी निवासी मकान न. —————— वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट —————————————————— डाकघर ————————— जिला ———————————————— राज्य ——————————— जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, उनका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और संतुष्ट है कि उनका मामला ——————————————— विकलांगता का है। दिशा निर्देशों (उल्लेखित किया जाना है) के अनुसार उनकी शारीरिक क्षति/विकलांगता की हदों के प्रतिशत का मूल्यांकन किया गया और नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विकलांगता	शरीर के प्रभावित अंग	रोग की पहचान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (प्रतिशत में)
1.	चलन विकलांगता (लोकोमोटार डिसएबिलिटी)	@		
2.	कम दृष्टि चलन विकलांगता (लो विजन)	#		
3.	दृष्टिहीनता	दोनों आंखें		
4.	श्रवण क्षति चलन विकलांगता (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	£		
5.	मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन)	X		
6.	मानसिक अस्वस्थता (मेंटल इलनेस)	X		

जो विकलांगता लागू नहीं है कृपया उसे काट दें।

2. यह स्थिति बढ़ने वाली है/नहीं बढ़ने वाली है/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता की पुनर्मूल्यांकन –

क) आवश्यकता नहीं है।

या

ख) –––––– वर्ष ––––––– माह बाद के लिए सिफारिश की जाती है, अतः यह प्रमाण पत्र दि ––/––/–– तक वैध रहेगा।

@ – बायां/दायां/दोनों भुजाएं/टांगों

 # – एक आंख/दोनों आंखें

£ – दायां/बायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है –

दस्तावेज की प्रकृति	**जारी करने की तिथि**	**प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण**

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रतिहस्ताक्षरित

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखे)

{यदि प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/अध्यक्ष का प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर}

नोटः यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया है जो सरकारी नहीं है, तो यह प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने पर ही वैद्य होगा

नोटः प्रधान नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 908 (ई) दिनांक दिसम्बर 31, 1996 के द्वारा प्रकाशित हुए थे।

ANNEXURE-X

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN CANDIDATES

I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which the application relates, my appointment will be subject to may producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retied/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil services and Posts rules, 1979, as amended from time to time.

I also understand that I shall no vacancy reserved for Ex-Servicemen in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the cavil side (including Public sector Undertaking, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-Servicemen.

I further submit the following information:

(a) Date of appointment in Armed Forces : ________________________________

(b) Date of Discharge : ________________________________

(c) Length of service in Armed Forces : ________________________________

(d) My last Unit/Corps : ________________________________

Place: _________________

Date:__________________ (Signature of the Candidate)

ANNEXURE-XI

(On official Letter Head of the Institute/ICAR Headquarter)

It is certified that Sh./Smt./Dr. ______________________________________(Name) is working as ___________________________________(Designation) in this Office. His/her initial date of appointment is _________________________________. His/her pay in ₹ _________________________ (Pay Band) is ₹ ______________________ (Pay in Pay Band i.e. without Grade Pay) and a Grade Pay of ₹ _____________________. He/she is a _________________ (Regular/Contractual) employee of this University/Institute. This University/Office has no objection to his/her applying for the post of Stenographer Grade-III/ Lower Division Clerk Examination conducted by Agricultural Scientists Recruitment Board.

(Head of Office)